

अनुबंध - 1
(पैरा 3.1 देखें)

प्रदान की गई चार यूएमपीपीज़ में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत टैरिफ

यूएमपीपी का नाम	बोलीदाता का नाम	समान रूप से उद्धृत टैरिफ ₹ प्रति यूनिट	स्वीकृत टैरिफ ₹ प्रति यूनिट
सासन (1 अगस्त 2007 को आशय पत्र जारी किया गया)	ग्लोबलेक-लंको कंसोर्टियम	1.196*	1.196
	रिलायंस पावर लिमिटेड	1.196 #	
	टाटा पावर कम्पनी लि.	1.412	
	जय प्रकाश एसोसिएट्स लि.	1.650 #	
	स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लि.	1.743	
	एस्सार पावर लि.	1.760	
	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	1.799	
	एनटीपीसी लि.	2.126 #	
	लार्सन एंड टुर्बो लि.	2.251	
तिलैया (12 फरवरी 2009 को आशय पत्र जारी किया गया)	रिलायंस पावर लि.	1.770	1.770
	एनटीपीसी लि.	2.391	
	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	2.691	
	स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लि.	2.972	
मुन्द्रा (28 दिसम्बर 2006 को आशय पत्र जारी किया गया)	टाटा पावर कम्पनी लि.	2.264	2.264
	रिलायंस पावर लिमिटेड	2.661	
	अदानी इंटरप्राइजेज लि.	2.696	
	एस्सार पावर लि.	2.801	
	लार्सन एंड टुर्बो लि.	3.220	
	स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लि.	3.746	
कृष्णापत्तनम (30 नवम्बर 2007 को आशय पत्र जारी किया गया)	रिलायंस पावर लिमिटेड	2.333	2.333
	लार्सन एंड टुर्बो लि.	2.690	
	स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लि.	4.197	

* आरम्भ में ग्लोबलेक- लंको कंसोर्टियम को न्यूनतम बोलीदाता के रूप में चिन्हित किया गया था और आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था लेकिन एलओआई को तथ्यों के गलत रूप से प्रस्तुत करने के कारण जुलाई 2007 में रद्द कर दिया गया और परियोजना रिलायंस पावर लिमिटेड को सौंपी गई जिसने ग्लोबलेक-लंको कंसोर्टियम द्वारा उद्धृत टैरिफ से मेल किया।

बोलीदाता जिन्होंने अपनी बोलियों की वैधता में विस्तार किया और ग्लोबलेक-लंको-कंसोर्टियम को आरम्भिक रूप से जारी की गई एलओआई के रद्द करने के बाद संशोधित कीमत बोलियां प्रस्तुत की।

तकनीकी अनुभव का दावा जो योग्यता आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकती

(₹ करोड़ में)

परियोजना का नाम	आरईजीएल द्वारा दावा किया गया अनुभव	अनुभव जो योग्यता आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकता	दावा किए गए अनुभव के अनुरूप नहीं होने का कारण	उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए अनुमेय अनुभव	
सासन एंड मुन्द्रा*	आरईएल (जेनरेशन एंड टी एंड डी प्रोजेक्ट्स)-पैरेंट	2137.49	2137.49	गत 10 वर्षों के दौरान चालू की गई परियोजनाओं से संबंधित पूंजीकरण को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। मै. ई एण्ड वाई ने अपने तथ्यात्मक नोट में कहा है कि ये चालू परियोजनाएं हैं	0.00
	बीएसईएस केरल पावर लिमिटेड-संबद्ध	594.15	0.00	विचार किया जा सकता है यदि पैरेंट को अप्रत्यक्ष मतदान करने की शक्ति की अनुमति दी जाती है।	594.15
	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड-संबद्ध	290.04	290.04	मै. ई एण्ड वाई ने अपने तथ्यात्मक नोट में कहा है कि ये चालू परियोजनाएं हैं	0.00
	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड-संबद्ध	348.18	348.18	मै. ई एण्ड वाई ने अपने तथ्यात्मक नोट में कहा है कि ये चालू परियोजनाएं हैं	0.00
	वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल सप्लाय कं. आफ ओडिशा लिमिटेड-संबद्ध	128.39	128.39	मै. ई एण्ड वाई ने अपने तथ्यात्मक नोट में कहा है कि ये चालू परियोजनाएं हैं।	0.00
	नार्दन इलेक्ट्रिकल सप्लाय कं. आफ ओडिशा लिमिटेड संबद्ध	134.44	134.44	वहीं	0.00
	साउदर्न इलेक्ट्रिकल सप्लाय कं. आफ ओडिशा लिमिटेड - संबद्ध	85.34	85.34	वहीं	0.00
	सामलकोट पावर प्रोजेक्ट-पैरेंट	656.65	0.00	उपयुक्त	656.65
	विंड फार्म, जोगी मति-पैरेंट	41.92	0.00	उपयुक्त	41.92
	जोड़	4416.60	3123.88	जोड़	1292.72

कृष्णापत्तनम	आरईएल (जेनरेशन एंड टी एंड डी प्रोजेक्ट्स)- पैरेंट	2137.49	2137.49	गत 10 वर्षों के दौरान चालू की गई परियोजनाओं से संबंधित पूंजीकरण को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था।	0.00
	बीएसईएस केरल पावर लिमिटेड-संबद्ध	594.15	0.00	विचार किया जा सकता है, यदि पैरेंट को अप्रत्यक्ष मतदान शक्ति की अनुमति दी जाती है	594.15
	सामलकोट पावर प्रोजेक्ट - पैरेंट	656.65	0.00	उपयुक्त	656.65
	विंड फार्म जोगीमति पैरेंट	41.92	0.00	उपयुक्त	41.92
	जोड़	3430.21	2137.49	जोड़	1292.72
तिलैया	आरईएल (जेनरेशन एंड टी एंड डी प्रोजेक्ट्स)- पैरेंट	2254.61	2254.61	गत 10 वर्षों के दौरान चालू की गई परियोजनाओं से संबंधित पूंजीकरण को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था	0.00
	बीएसईएस केरल पावर लिमिटेड-पैरेंट	594.15	0.00	उपयुक्त	594.15
	सामलकोट पावर प्रोजेक्ट- पैरेंट	656.65	0.00	उपयुक्त	656.65
	जोड़	3505.41	2254.61	जोड़	1250.80

* आरईजीएल (आरपीएल) ने मुन्द्रा बोली नहीं जीती लेकिन आरएफक्यू स्टेज पर योग्य घोषित किया गया था।

एसपीवीज़ के संदर्भ में सफल बोलीदाताओं से सहमत अत्यधिक भूमि का विवरण

		सीईए के मानदंडों के अनुसार * (एकड़ में)	सहमत भूमि (एकड़ में)	अंतर (एकड़ में)
(क) कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड (मुन्द्रा यूएमपीपी के लिए)				
ए	मुख्य पॉवर प्लांट	840	1524	684
बी	ऐश डाइक	390	595	205
सी	अन्य सुविधाएं (एमजीआर सिस्टम, इंटेक आउटफाल चैनल)	150	499	349
डी	नगर क्षेत्र	150	450	300
	कुल	1530	3068	1538
(ख) कोस्टल आंध्र पॉवर प्लांट (कृष्णापत्तनम यूएमपीपी के लिए)				
ए	मुख्य पॉवर प्लांट एवं कालोनी	990	1915.90	925.90
बी	ऐश पाण्ड,	390	533.56	143.56
सी	प्लांट क्षेत्र के बाहर की अन्य सुविधाएं	150	176.22	26.22
	जोड़	1530	2625.68	1095.68
	सकल जोड़			2633.68

* थर्मल पावर स्टेशन की भूमि आवश्यकता पर सीईए का दिसम्बर 2007 का प्रतिवेदन

चित्रांगी परियोजना के लिए सासन यूएमपीपी के आंतरिक खानों से अतिरिक्त कोयले के उपयोग के लिए अनुदान की मंजूरी से संबद्ध घटनाओं का कालानुक्रम:

घटना	माह/तारीख
सासन यूएमपीपी के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) जारी करना	31.3.2006
आरएफक्यू का प्रारम्भ	1.6.2006
सासन यूएमपीपी के प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) का अनुरोध जारी करना	21.8.2006
सासन यूएमपीपी के लिए आंतरिक कोयला ब्लॉकों का आबंटन	मोहर एवं मोहर अमलोरी विस्तार- 13.9.2006
विद्युत मंत्रालय का कोयला मंत्रालय से सासन यूएमपीपी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य कोयला ब्लॉक के आबंटन हेतु अनुरोध	अक्टूबर 2006
कोयला मंत्रालय द्वारा सासन यूएमपीपी को छत्रसाल कोयला ब्लॉक का आबंटन	26.10.2006
आरएफपी की शुरुआत	7.12.2006
ग्लोबलेक-लंको कांसोर्टियम (न्यूनतम बोली लगाने वाला) को आशय पत्र (एलओआई) जारी करना	28.12.2006
ग्लोबलेक-लंको कांसोर्टियम को एलओआई के अवार्ड के विरुद्ध शिकायत	फरवरी 2007
पीएफसी एमओपी एवं ई-जीओएम (14 जून 2007 को निर्मित) द्वारा ग्लोबलेक-लंको के विरुद्ध शिकायत की जांच-पड़ताल	फरवरी 2007 से जुलाई 2007
ग्लोबलेक-लंको के कांसोर्टियम के एलओआई का निरस्तीकरण	26.7.2007
रिलाइंस पावर लिमिटेड (दूसरा, न्यूनतम बोली लगाने वाला जो ग्लोबलेक-लंको की बोली से मेल खाता था) को एलओआई जारी करना	1.8.2007
सासन यूएमपीपी को आरपीएल को प्रदान करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर	7.8.2007
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री को सासन यूएमपीपी आंतरिक खानों से अधिशेष कोयले का आरपीएल के चित्रांगी परियोजना में विपथन, की सिफारिश के लिए पत्र	2.11.2007
आरपीएल द्वारा मोहर एवं मोहर अमलोरी कोयला ब्लॉकों के 12 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के साथ विस्तार के लिए खनन योजना प्रस्तुत करना	मार्च 2008
अधिशेष कोयले के उपयोग के मुद्दे के साथ अन्य बातों पर विचार-विमर्श के लिए ईजीओएम की बैठकें	28.5.2008 और 14.8.2008
ईजीओएम का आरपीएल की अन्य परियोजनाओं के लिए अधिशेष कोयले के उपयोग के लिए सिफारिश	14.8.2008
सासन यूएमपीपी के लिए दृष्टव्य 16 मिलियन टन प्रति वर्ष की आवश्यकता से अधिक अधिशेष कोयले के 20 मिलियन टन प्रति वर्ष के लिए आरपीएल का मोहर एवं मोहर अमलोरी विस्तार के लिए संशोधित खान योजना का प्रस्तुतीकरण	सितम्बर 2008

कोयला मंत्रालय का ई जीओएम की सासन यूएमपीपी से अधिशेष कोयले के चित्रांगी परियोजना में प्रयोग के लिए सिफारिश पर सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन	18.11.2008
टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड द्वारा आरपीएल को सासन यूएमपीपी अधिशेष कोयले के चित्रांगी परियोजना में प्रयोग के अनुमति के विरुद्ध उच्च-न्यायालय में याचिका दायर करना	3.1.2009
लेखापरीक्षा द्वारा पहली बार मुद्दा उठाए जाने की तारीख	16.3.2009
छत्रसाल कोयला ब्लॉक से पांच मिलियन टन प्रति वर्ष की खनन योजना का अनुमोदन	मार्च 2009
उच्च न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों के दमन के आधार पर टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड की याचिका का निरस्तीकरण टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड के द्वारा दायर याचिका को बनाए रखने और न्यायालय से राहत पाने के लिए लिए गए समय के आधार पर सुने जाने के अधिकार के अभाव में याचिका का निरस्तीकरण	13.4.2009
"पीएफसी में एसपीवीज के कार्यों" पर प्रबंधन को मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना	20.10.2009
एमओसी का अधिशेष कोयले के चित्रांगी परियोजना में उपयोग के लिए विशिष्ट अनुमोदन (राजपत्र अधिसूचना)	17.2.2010
पीएफसी को लेखापरीक्षा द्वारा प्रबंधन पत्र जारी करना	16.6.2010
लेखापरीक्षा द्वारा विद्युत मंत्रालय को प्रबंधन पत्र जारी करना	27.8.2010
टाटा पावर लिमिटेड द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करना	5.5.2009
विद्युत मंत्रालय को वित्तीय निहितार्थ के साथ लेखापरीक्षा अवलोकन मसौदा जारी करना	29.8.2011
पीएफसी के प्रबंधन को अनुवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना	14.9.2011
विद्युत मंत्रालय को अनुवर्ती प्रतिवेदन जारी करना	12.10.2011
विद्युत मंत्रालय का उत्तर	14.12.2011
ई-जीओएम की बैठक, जिसमें सासन यूएमपीपी से अधिशेष कोयले के चित्रांगी परियोजना में उपयोग के अनुमति के वापसी के मुद्दों के साथ अन्य बातों पर विचार-विमर्श किया गया था। ई-जीओएम ने विद्युत मंत्रालय को भारत के महान्यायवादी के विचार प्राप्त करने के बाद वापसी का निर्देश दिया	5.12.2011
भारत के महान्यायवादी के विचार प्राप्त करने के पश्चात् विद्युत मंत्रालय का ईजीओएम के पास वापस जाना	मार्च 2012

दैनिक आधारित तुलना

गणना संदर्भ	अधिशेष कोयले की वजह से अतिरिक्त क्षमता (नोट-4)	कटौती की प्रतिशतता (नोट-1 व 2)		दो दैनिक स्तरों के बीच क्षमता का बंटवारा (1241 मेगावाट 2.45 रुपए एवं 834 मेगावाट 3.702 रुपए की दर पर (नोट-3))		अधिशेष कोयले के साथ उत्पादित यूनिट (किलोवाट घंटा) (रुपए)	अधिशेष कोयले के साथ उत्पादित यूनिट (किलोवाट घंटा) (रुपए)
		6	7.50	मध्यप्रदेश (रुपए) अनुबंधित राशि 1241 मेगावाट	उत्तरप्रदेश (रुपए) म.प्र. से अनुबंधित राशि मिलने के बाद		
वर्ष 1 (मेगावाट)	461	433.34	400.8395	400.8395	0	3160218618	0
वर्ष 2-16 (मेगावाट)	2075	1950.5	1804.2125	1241.0000	563.2125	9784044000	4440367350
वर्ष 17 (मेगावाट)	1383	1300.02	1202.5185	1202.5185	0	9784044000	4440367350
वर्ष 18 (मेगावाट)	1153	1083.82	1002.5335	1002.5335	0	9784044000	4440367350
वर्ष 19 (मेगावाट)	1153	1083.82	1002.5335	1002.5335	0	9784044000	4440367350
वर्ष 20 (मेगावाट)	922	866.68	801.679	801.6790	0	9784044000	4440367350
एक वर्ष में दिन	365	24	1000	रूपान्तरण-मेगा से किलोवाट	प्रति मेगावाट कुल ईकाई	9784044000	4440367350
				पीएलएफ/क्षमता (नोट-5)	0.9	9784044000	4440367350

नोट: 1. 6% अनुबंधी खर्च को लिया गया है

2. मध्यप्रदेश को विद्युत उत्पादन का 7.5% परिकल्पनीय लागत पर 2075 मेगावाट से अपूर्ण किया जाना माना गया जो कि सासन परियोजना से अधिशेष कोयले से उत्पादित किया जाएगा।

3. मध्य प्रदेश को 2.45 रुपए प्रति यूनिट की दर से 1241 मेगावाट बिजली की आपूर्ति 2075 मेगावाट से मानी गई, जो सासन के अधिशेष कोयले से उत्पादित की जाएगी। यह परिकल्पित किया जाता है कि शेष बिजली उत्तर प्रदेश को 3.702 रुपए प्रति यूनिट की दर से दी जाएगी।

4. आरपीएल द्वारा एमओसी को दिए गए प्रस्ताव के अनुसार अधिशेष कोयले से प्रथम वर्ष 461 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तत्पश्चात 2075 मेगावाट प्रति वर्ष 16वें वर्ष तक, तत्पश्चात क्रमशः 17वें, 18वें, 19वें वर्ष और 20वें वर्ष क्रमशः 1383 मेगावाट, 1153 मेगावाट, 1153 मेगावाट और 922 मेगावाट उत्पादन किया जाएगा।

5. वृद्धिशील कोयले के उपयोग के लिए आरपीएल के प्रस्ताव के अनुसार चित्रांगी के लिए थार संयंत्र क्षमता 90% मानी गई है।

आरपीएल को दिया गया अनुचित वित्तीय लाभ

छूट दर - 11.08%

एस्पी

यूपी

छूट	चिन्तागी समान टैरिफ	सासन समान टैरिफ	अंतर	व्हीलिंग प्रभाप और सीडीएम	उत्पादित यूनिट (के डब्ल्यू-एच)	अनुचित लाभ मध्य प्रदेश (रं में)	चिन्तागी समान टैरिफ	सासन समान टैरिफ	अंतर	व्हीलिंग प्रभाप और सीडीएम	उत्पादित यूनिट (के डब्ल्यू-एच)	अनुचित लाभ उत्तर प्रदेश (रं में)	
Year	(in ₹)	(in ₹)											
1	2.450	1.196	1.254	0.834	3,160,218,618	2,635,622,327	3.702	1.196	2.506	-0.42	0	0	
2	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
3	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
4	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
5	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
6	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
7	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
8	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
9	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
10	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
11	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
12	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
13	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
14	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
15	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
16	2.450	1.196	1.254	0.834	9,784,044,000	8,159,892,696	3.702	1.196	2.506	2.086	4,440,367,350	9,262,606,292	
17	2.450	1.196	1.254	0.834	9,480,655,854	7,906,866,982	3.702	1.196	2.506	2.086	0	0	
18	2.450	1.196	1.254	0.834	7,903,974,114	6,591,914,411	3.702	1.196	2.506	2.086	0	0	
19	2.450	1.196	1.254	0.834	7,903,974,114	6,591,914,411	3.702	1.196	2.506	2.086	0	0	
20	2.450	1.196	1.254	0.834	6,320,437,236	5,271,244,655	3.702	1.196	2.506	2.086	0	0	
छूट के बिना अनुचित लाभ : एस्पी					151,395,953,227				छूट के बिना अनुचित लाभ : यूपी				138,939,094,382
अनुचित लाभ का एन्पीवी : एस्पी						58,823,136,932			अनुचित लाभ का एन्पीवी : यूपी				59,698,493,999
छूट के बिना कुल अनुचित लाभ					290,335,047,608				छूट के बिना कुल अनुचित लाभ				118,521,630,930

टिप्पणी:

1. अनुचित लाभ की गणना कस्ते समय चिन्तागी परियोजना के व्हीलिंग प्रभापों (रूपए 0.08/किलोवाट) और सीडीएम प्रभापों (रूपए 0.04/ किलोवाट) पर विचार किया गया है।
2. एक से 20 वर्षों तक वार्षिक टैरिफ के रूप में आरपीएल द्वारा उद्घृत चिन्तागी, मध्य प्रदेश के लिए और यूपी के लिए क्रमशः रूपए 3.702 प्रति किलोवाट घंटा और सासन के लिए रूपए 1.196 प्रति किलोवाट घंटा समान टैरिफ लिया गया है।
3. समान टैरिफ संबंधित मामलों के लिए बोली के प्रारम्भ की तिथि पर मूल्य पर आधारित है।
4. एन्पीवी की गणना करने के लिए छूट घटक को वर्तमान (3 अप्रैल, 2012) निर्धारित सीईआरसी दर 11.08% लिया गया है।
5. सासन और चिन्तागी (उग्र एवं मग) के लिए लागत में वृद्धि पर विचार नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप आरपीएल के लिए वास्तविक प्राप्ति भिन्न हो सकती है।
6. मोहर, मोहर-अमलोरी और छत्रसाल सासन परियोजना से 20 कि मी और चिन्तागी परियोजना से 40 कि मी की दूरी पर स्थित है। चूंकि रेलवे का माल भाड़ा 100 कि मी की दूरी तक समान रहता है, अतः परिसहन लागत के वित्तीय प्रभाव की गणना नहीं की गई है।